रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072026-274613
CG-DL-E-20072026-274613

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 577]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 16, 2026/आषाढ 25, 1948
No. 577]	NEW DELHI, THURSDAY, JULY 16, 2026/ASHADHA 25, 1948

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 636(अ).— पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो वह पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा को समाप्त कर सकेगी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016 में संशोधन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा को समाप्त करना लोक हित में है।

अब, अत:, केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित और नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) संशोधन नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016 की अनुसूची 1 में, सारणी में, क्र.सं. 16 के सामने स्तंभ (2) में "प्रक्रिया" शीर्षक के अधीन "कास्टिक सोडा और क्लोरीन का उत्पादन" स्तंभ (3) में, "16.3 ब्राईन स्लज" प्रविष्टि का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 23/151/2022-एचएसएम]

उदय चौधरी, संयुक्त सचिव

टिप्पण. — मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 395(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 438(अ) तारीख 1 जुलाई, 2025 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2026

G.S.R. 636(E).— Whereas sub-rule (4) of the rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

And Whereas the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, namely :—

1. (1) These rules may be called the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, in Schedule I, in the Table, against S.No. 16, under the heading ''Processes'' in column (2), ''Production of caustic soda and chlorine'', in column (3), the entry, ''16.3 Brine sludge'' shall be omitted.

[F. No. 23/151/2022-HSM]

UDAY CHAUDHARY, Jt. Secy.

Note. — The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 395(E), dated the 4th April, 2016 and last amended *vide* the notification number G.S.R. 438(E), dated the 1st July, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.07.20 15:17:07 +05'30'